(लोक सभा द्वारा 26.7.2019 को पारित रूप में)

2019 का विधेयक संख्यांक 189-सी

[दि कंपनी (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019

कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) इस अधिनियम के उपबंध, धारा 6, धारा 7 और धारा 8, धारा 14 के खंड (i), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 20 और धारा 21, धारा 31, धारा 33, धारा 34 और धारा 35, धारा 37 और धारा 38 के सिवाय, 2 नवम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(3) धारा 6, धारा 7 और धारा 8, धारा 14 के खंड (i), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 20, धारा 21, धारा 31, धारा 33, धारा 34 और धारा 35, धारा 37 और धारा 38 के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इन उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के किसी प्रति-निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति-निर्देश है ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (41) में,— 2013 का 18

(क) पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह कि जहां कोई कंपनी या निगमित निकाय, जो भारत के बाहर निगमित कंपनी की नियंत्री कंपनी या समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी है और उससे भारत से बाहर अपने लेखाओं के समेकन के लिए भिन्न-भिन्न वित्तीय वर्ष का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, उस कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी भी अवधि को अपने वित्तीय वर्ष के रूप में, चाहे वह अवधि एक वर्ष की है या नहीं, अनुज्ञात कर सकेगी :

परंतु यह और कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लंबित किसी आवेदन का ऐसे प्रारम्भ से पूर्व उसके लागू उपबंधों के अनुसार अधिकरण द्वारा निपटान किया जाएगा ।";

(ख) दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 10क का अन्तःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कारबार, आदि का प्रारम्भ ।

"10क. (1) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ के पश्चात् निगमित की गई कोई कंपनी और जिसके पास शेयर पूंजी है, कोई कारबार आरम्भ तब तक नहीं करेगी या किन्हीं उधार लेने की शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं करेगी,--

(क) जब तक किसी निदेशक द्वारा रजिस्ट्रार के पास कंपनी के निगमन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में घोषणा फाइल नहीं कर दी जाती है या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसका सत्यापन नहीं कर दिया जाता है कि ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता ने ऐसी घोषणा करने की तारीख को उसके द्वारा लिए जाने के लिए करार पाए गए शेयरों के मूल्य का संदाय कर दिया है ; और

(ख) कंपनी ने धारा 12 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं कर दिया है ।

(2) यदि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी पचास हजार रुपए की शास्ति की दायी होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए की शास्ति, किन्तु जो एक लाख रुपए से अनधिक की होगी, का दायी होगा।

(3) जहां कोई घोषणा कंपनी के निगमन की तारीख के एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं की गई है और रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि

कंपनी कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है तो वह, उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 18 के अधीन कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाए जाने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा ।"।

धारा 12 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(9) यदि रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कंपनी कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है तो वह कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वास्तविक सत्यापन ऐसी रीति में करा सकेगा जो विहित की जाए और यदि उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाना पाया जाता है तो वह उपधारा (8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 18 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी के नाम को हटाए जाने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(i) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि किसी पब्लिक कंपनी का किसी प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाला कोई परिवर्तन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक यह किए गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह भी कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लंबित किसी आवेदन का ऐसे प्रारम्भ से पूर्व इसको लागू उपबंधों के अनुसार अधिकरण द्वारा निपटान किया जाएगा ।";

(ii) उपधारा (2) में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(i) उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) में, "रजिस्ट्रीकरण" शब्द के स्थान पर, "फाइल करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ।

धारा 29 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) में, "पब्लिक" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) ऐसे वर्ग या वर्गों की असूचीबद्ध कंपनियां, जो विहित की जाएं, के मामले में, प्रतिभूतियां, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और तद्धीन बनाए गए विनियमों में अधिकथित रीति में अभौतिक रूप में ही धारित या अंतरित की जाएंगी ।"

1996 का 22

धारा 35 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) में, "रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रोस्पेक्टस की प्रति परिदत्त करने" शब्दों के स्थान पर, "रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस की प्रति फाइल करने" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 53 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, वहां ऐसी कंपनी और प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो बट्टे पर शेयरों के निर्गमन के माध्यम से जुटाई गई रकम के समतुल्य रकम या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक की हो सकेगी और कंपनी का ऐसे शेयरों के निर्गमन की तारीख से बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित प्राप्त सभी धनराशियों का उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे शेयर जारी किए गए हैं, प्रतिदाय करने की भी दायी होगी ।"।

धारा 64 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई कंपनी उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, वहां ऐसी कंपनी और प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 77 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु रजिस्ट्रार, किसी कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसे रजिस्ट्रीकरण को किए जाने के लिए—

(क) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने से पूर्व सृजित प्रभारों की दशा में, ऐसे सृजन से तीन सौ दिन की अवधि के भीतर ; या

(ख) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् सृजित प्रभारों की दशा में, ऐसे सृजन से साठ दिन की अवधि के भीतर,

ऐसी अतिरिक्त फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो—

(क) पहले परंतुक के खंड (क) में, प्रभार का रजिस्ट्रीकरण, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने की तारीख से छह मास के भीतर ऐसी अतिरिक्त फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर किया जाएगा और कंपनियों के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न फीसें विहित की जा सकेंगी ;

(ख) पहले परंतुक के खंड (ख) में, रजिस्ट्रार, किसी आवेदन पर, ऐसे रजिस्ट्रीकरण को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर ऐसी मूल्यानुसार फीसें, जो विहित की जाएं, का संदाय करने के पश्चात् अनुज्ञात कर सकेगा ।"।

धारा 86 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 86 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक धारा 77 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई मिथ्या या गलत सूचना प्रस्तुत करता है या जानबूझकर किसी तात्विक सूचना को छिपाता है तो वह धारा 447 के अधीन कार्रवाई किए जाने का दायी होगा ।"।

धारा 87 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 87 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"87. केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि—

प्रभार रजिस्टर में केन्द्रीय सरकार द्वारा सुधार ।

(क) इस अध्याय के अधीन अपेक्षित समय के भीतर रजिस्ट्रार को किसी प्रभार को संदाय या चुकाने की सूचना देने में चूक ; या

(ख) किसी ऐसे प्रभार या उसके उपांतरण या भुगतान के किसी ज्ञापन या धारा 82 या धारा 83 के अनुसरण में की गई अन्य प्रविष्टि के सम्बन्ध में, किसी विशिष्टि का लोप या मिथ्या कथन,

आकस्मिक था या अनवधानता या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण था या ऐसी कंपनी के लेनदारों या शेयर धारकों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रकृति का नहीं है, इसे कंपनी द्वारा या किसी हितबद्ध अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार न्यायोचित और समीचीन समझे, निदेश दे सकेगी कि संदाय या भुगतान की ऐसी सूचना के दिए जाने के लिए समय का विस्तार किया जाएगा या जैसी मामले में अपेक्षा की जाए, ऐसे लोप या मिथ्या कथन का सुधार किया जाएगा ।"।

धारा 90 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 90 में,—

(i) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) प्रत्येक कंपनी, ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जो कंपनी के संबंध में एक महत्वपूर्ण हितकारी स्वामी है और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करे" ;

(ii) उपधारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(9) अधिकरण के आदेश से व्यवथित कंपनी या व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, उपधारा (8) के अधीन निर्बंधनों के शिथलीकरण या उन्हें हटाने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगी या कर सकेगा :

परंतु यदि ऐसा कोई आवेदन उपधारा (8) के अधीन आदेश की तारीख से

एक वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया गया है तो ऐसे शेयर, किसी निर्बंधन के बिना धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, गठित प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे ।";

(iii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(9क) केन्द्रीय सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।";

(iv) उपधारा (11) में, "फाइल करने की अपेक्षा" शब्दों के पश्चात्, "या उपधारा (4क) के अधीन आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 92 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यदि कोई कंपनी उपधारा (4) के अधीन अपनी वार्षिक विवरणी, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, फाइल करने में असमर्थ रहती है तो ऐसी कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और जारी रहने वाली ऐसी असफलता की दशा में, ऐसे प्रत्येक पहले दिन के लिए, जिसके दौरान, ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति, का दायी होगा ।"।

धारा 102 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 102 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि, इस उपधारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी का प्रत्येक संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की या संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उसके नातेदारों में से किसी भी नातेदार को उद्भूत होने वाले फायदे की रकम का पांच गुणा, जो भी अधिक हो, की शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 105 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (3) में, "ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर,"पांच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 117 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 117 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(2) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व संकल्प या करार फाइल करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पच्चीस लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अन्तर्गत कंपनी का

परिसमापक, यदि कोई हो, भी है, व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 121 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 121 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यदि कंपनी उपधारा (2) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व रिपोर्ट फाइल करने में असमर्थ रहती है तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति का और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपए से कम की नहीं होगी और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 132 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 132 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ऐसे प्रभागों के माध्यम से अपने ऐसे कृत्यों का, जो विहित किए जाएं, पालन करेगा ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3क) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के प्रत्येक प्रभाग की अध्यक्षता अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत पूर्णकालिक सदस्य द्वारा की जाएगी ।

(3ख) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक कार्यकारी निकाय होगा जो उपधारा (2) [खंड (क) से भिन्न] और उपधारा (4) के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसे प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।"।

(ग) उपधारा (4) के खंड (ग) में, उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) सदस्य या फर्म को छह मास की न्यूनतम अवधि या दस वर्ष से अनधिक ऐसी उच्चतर अवधि के लिए, जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए निम्नलिखित से विवर्जित करना—

I. किसी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय के कृत्यों और क्रियाकलापों के वित्तीय विवरण या आंतरिक संपरीक्षा के सम्बन्ध में संपरीक्षक या आंतरिक संपरीक्षक के रूप में नियुक्त होने या कोई संपरीक्षा करने ; या

II. धारा 247 के अधीन यथा उपबंधित कोई मूल्यांकन करने ।"

धारा 135 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 135 में,—

(क) उपधारा (5) में,—

(i) "ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान" शब्दों के पश्चात्, "या जहां कंपनी ने ऐसे ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अपने निगमन के समय से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक के अंत में आने वाले "रकम खर्च न करने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा" शब्दों के पश्चात्, "और, जब तक अव्ययित रकम का उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी चालू परियोजना से सम्बन्ध नहीं है, तब तक ऐसी अव्ययित रकम को अनुसूची 7 में निर्दिष्ट निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर अंतरित नहीं करेगा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, को पूरा करने वाले, जिनका जिम्मा कंपनी द्वारा अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में लिया गया है, किसी चालू परियोजना के अनुसरण में, उपधारा (5) के अधीन शेष अव्ययित कोई रकम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में खोले जाने वाले विशेष खाते में अव्ययित, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाता नामक खाते में उस वित्तीय वर्ष के लिए इस निमित्त अंतरित की जाएगी और ऐसी रकम ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु कंपनी द्वारा अपनी बाध्यता के अनुसरण में व्ययित की जाएगी जिसके न हो सकने पर कंपनी तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरे होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर इसे अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित करेगी ।

(7) यदि कंपनी उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, कंपनी ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगी जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा और ऐसी कंपनी, का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी कंपनी या कंपनी के वर्ग को ऐसे

साधारण या विशेष निदेश दे सकेगी जो वह इस धारा के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी कंपनी या कंपनियों का वर्ग ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।"

धारा 137 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (3) में,—

(क) "जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "शास्ति से, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी या दोनों के लिए दायी होंगे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होंगे" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए की शास्ति और असफलता के जारी रहने की दशा में, पहले दिन के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के दायी होंगे" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 140 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 140 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यदि संपरीक्षक उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो वह पचास हजार रुपए या संपरीक्षक के पारिश्रमिक के बराबर रकम, जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा और ऐसी असफलता के जारी रहने की दशा में, पहले दिन के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 157 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 157 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) के अधीन निदेशक पहचान संख्या प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी पच्चीस हजार रुपए की शास्ति और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए, एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है,ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपए की शास्ति से कम की नहीं होगी और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 159 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 159 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय उपबंधों के व्यतिक्रम के लिए शास्ति ।

"159. यदि कंपनी का कोई व्यक्ति या निदेशक धारा 152, धारा 155 और धारा 156 के उपबंधों में से किसी उपबंध का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करता है तो कंपनी का ऐसा व्यक्ति या निदेशक ऐसी शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और जहां व्यतिक्रम जारी रहने वाला व्यतिक्रम है, वहां ऐसी अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी ।"।

धारा 164 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (1) में खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) उसने धारा 165 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है ।"।

धारा 165 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (6) में, "ऐसे जुर्माने से," शब्दों से आरम्भ होने वाले और "जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहेगा, पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा", शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 191 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 191 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यदि कंपनी का कोई निदेशक इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करता है तो ऐसा निदेशक एक लाख रुपए की शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 197 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 197 में,—

(क) उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (15) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(15) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है तो वह एक लाख रुपए की शास्ति का दायी होगा और जहां कोई व्यतिक्रम, कंपनी द्वारा किया गया है, वहां कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति की दायी होगी ।"।

धारा 203 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 203 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करती है तो ऐसी कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो व्यतिक्रम करते हैं, पचास हजार रुपए की शास्ति के दायी होंगे और जहां व्यतिक्रम एक जारी रहने वाला व्यतिक्रम है, वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए, किन्तु पांच लाख रुपए से अनधिक की

अतिरिक्त शास्ति के दायी होंगे ।"।

धारा 212 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 212 में,—

(क) उपधारा (8) में, "यदि साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक" शब्दों के स्थान पर, "यदि साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के सहायक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (9) में, "उपधारा (8) के अधीन" से आरम्भ होने वाले और "निदेशक" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "उपधारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी उपधारा के अधीन ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के ठीक पश्चात्' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) में,—

(i) "न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में, "मजिस्ट्रेट का न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय या मजिस्ट्रेट का न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

घ) उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(14क) जहां उपधारा (11) या उपधारा (12) के अधीन रिपोर्ट में यह कथन किया जाता है कि कंपनी में कपट किया गया है और ऐसे कपट के कारण कोई निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, कंपनी के अन्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व ने अनुचित लाभ या फायदा, चाहे वह किसी आस्ति, संपति या नकदी के रूप में हो या किसी अन्य रीति में हो, लिया है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी आस्ति संपति या नकदी की वसूली के सम्बन्ध में समुचित आदेशों के लिए और ऐसे निदेशक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अन्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को दायित्व की किसी परिसीमा के बिना व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराने के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी ।"। ;

मूल अधिनियम की धारा 238 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 238 की उपधारा (3) में, "जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर,"एक लाख रुपए की शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 241 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 241 में,—

(क) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग, जो विहित किए जाएं, के सम्बन्ध में, इस उपधारा के अधीन आवेदन अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के

समक्ष किए जाएंगे जिन पर ऐसे न्यायपीठ द्वारा कार्रवाई की जाएगी ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) जहां केन्द्रीय सरकार की राय में निम्नलिखित का सुझाव देने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं कि—

(क) किसी कंपनी के क्रियाकलापों के संचालन और प्रबंध में सम्बद्ध कोई व्यक्ति विधि के अधीन अपनी बाध्यताओं या कृत्यों में कपट, अपकरण, निरंतर उपेक्षा या व्यतिक्रम या न्यासभंग का दोषी है या उसके सम्बन्ध में दोषी रहा है ;

(ख) कंपनी का कारबार, ठोस कारबार सिद्धांतों या विवेकपूर्ण वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे संचालित या उसका प्रबंध नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है ;

(ग) कंपनी का संचालन और प्रबंधन किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जिससे ऐसे व्यापार, उद्योग या कारबार, जिसके साथ ऐसी कंपनी का सम्बन्ध है, के हित को गंभीर क्षति या नुकसान कारित होने की संभावना है या क्षति या नुकसान कारित किया गया है ;

(घ) कंपनी का कारबार ऐसे व्यक्ति द्वारा कपटपूर्ण या विधिविरूद्ध प्रयोजन के लिए या जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले रीति में अपने लेनदारों, सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ धोखा करने के आशय से संचालित और उसका प्रबंध किया जाता है या किया गया है,

वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई केस आरम्भ कर सकेगी और उसे इस अनुरोध के साथ अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी कि अधिकरण मामले की जांच करे और इस बारे में अपना विनिश्चय लेखबद्ध करे कि ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी के संचालन और प्रबंधन से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण करने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति है ।

(4) वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध केस उपधारा (3) के अधीन अधिकरण को निर्दिष्ट किया गया है, आवेदन के प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित होगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक आवेदन—

(क) में ऐसी परिस्थितियों और सामग्रियों का संक्षिप्त विवरण अंतर्विष्ट होगा जो केन्द्रीय सरकार जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वाद में वादपत्र के हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा ।"। 1908 का 5

धारा 242 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 242 में, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) धारा 241 की उपधारा (3) के संबंध में केस की सुनवाई की समाप्ति पर,

अधिकरण उसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन करते हुए अपना विनिश्चय इस बारे में लेखबद्ध करेगा कि क्या प्रत्यर्थी किसी कंपनी के संचालन और प्रबंधक से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण करने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति है या नहीं ।"।

धारा 243 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 243 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 242 की उपधारा (4क) के अनुसरण में, योग्य और उचित व्यक्ति नहीं है, उक्त विनिश्चय की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी कंपनी के कार्यकलापों के संचालन और प्रबंधन से सम्बद्ध निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिकरण की अनुमति से, ऐसे व्यक्ति को पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी ऐसे पद को धारण करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी ।

(1ख) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या संविदा, ज्ञापन या अनुच्छेदों के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के कार्यकलापों के संचालन और प्रबंधन से संबद्ध निदेशक के पद या किसी अन्य पद से किसी व्यक्ति के हटाए जाने पर, वह व्यक्ति हानि या पद के पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का संदाय किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा ।"।

(ख) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 248 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) में, "धारा 455 "शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 455 ; या" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् और दीर्घ पंक्ति से पहले, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) ज्ञापन के अभिदाताओं ने ऐसे अभिदान का संदाय नहीं किया है जिनका उन्होंने कंपनी के निगमन के समय संदाय करने का वचन दिया था और इस आशय के लिए एक घोषणा धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल नहीं की गई है; या

(ङ) ऐसी कंपनी, जो धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन किए गए वास्तविक सत्यापन के पश्चात् उल्लेख किए गए अनुसार कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है ;"।

धारा का 272 संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 272 की उपधारा (3) में, "उस उपधारा के खंड (क) या खंड (ङ)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "उस धारा के खंड (क)

या खंड (ङ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 398 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 398 की उपधारा (1) के खंड (च) में, "प्रोस्टपेक्टस" शब्द का लोप किया जाएगा ।

धारा 441 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 441 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में, "पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अपराध, जो इस अधिनियम के अधीन केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय है, शमनीय नहीं होगा ।"। 1974 का 2

धारा 446ख का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 446ख में, "ऐसी धाराओं में विनिर्दिष्ट जुर्माने से", शब्दों से आरम्भ होने वाले और "दंडनीय होगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "ऐसी शास्ति, जो ऐसी धाराओं में विनिर्दिष्ट शास्ति के आधे से अधिक नहीं होगी, का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।"।

धारा 447 का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 447 के दूसरे परंतुक में, "पच्चीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 454 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 454 में,—

(i) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, आदेश द्वारा,—

(क) कंपनी, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी पर, जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति पर इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन किसी अननुपालन या व्यतिक्रम का उसमें उल्लेख करते हुए, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसी कंपनी या अधिकारी को, जो व्यतिक्रम करता है या किसी अन्य व्यक्ति को, जब कभी वह ठीक समझे, व्यतिक्रम का सुधार करने के लिए निदेश दे सकेगा ।";

(ii) उपधारा (4) में "ऐसी कंपनी और अधिकारी को, जो व्यतिक्रमी है" शब्दों के स्थान पर "ऐसी कंपनी, ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति को" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (8) में,—

(क) खंड (i) में, "जहां कंपनी, न्यायनिर्णायक अधिकारी या प्रादेशिक निदेशक द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय आदेश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नहीं करती है" शब्दों के स्थान पर, "जहां कंपनी, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, —

(i) "जहां किसी कंपनी का कोई अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "जहां किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "शास्ति का संदाय नहीं करता है" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

नई धारा 454क का अन्तःस्थापन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 454 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

पुनरावृत्त व्यतिक्रम के लिए शास्ति ।

"454क. जहां किसी कंपनी या किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन व्यतिक्रम के लिए शास्ति का भागी है, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी या प्रादेशिक निदेशक द्वारा पारित ऐसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पुनः ऐसा व्यतिक्रम करता है, वहां वे ऐसे दूसरे या पश्चातवर्ती व्यतिक्रमों के लिए इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन ऐसे व्यतिक्रम के लिए उपबंधित शास्ति की दो गुणा रकम के बराबर रकम के दायी होंगे ।"।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

2019 का अध्यादेश सं. 6

44. (1) कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

MGIPMRND—2125LS(CRC)—26-7-2019.